भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–110/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
29.12.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। 29.12.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
16.02.2019	अभिलेख उपस्थापित। विज्ञ अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार बेहरा द्वारा दिनांक–16.02.2019 को आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा T.A Misc Case No. 110/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता वर्त्तमान में उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार बेहरा द्वारा उक्त अभिलेख को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है। श्री प्रमोद कुमार बेहरा अधिवक्ता द्वारा हुए दिये गए आवेदन के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अन्तरण हेतु स्वीकृति दी जाती है। **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–102, दिनांक–16.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका **श्री सुनिया हेम्ब्रम,** पिता/पति–**स्व0 दादु हेम्ब्रम,** जाति–**हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–**बंगलाटांड़,** थाना–**चक्रधरपुर, वार्ड नं0–19,** जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**वार्ड नं0–15, चक्रधरपुर,** थाना– **चक्रधरपुर,** थाना नं0–**68,** खाता नं०–**156,** प्लॉट नं0–**368,** रकवा–**0.14 ए0,** आवासीय भूमिक्रेता **श्रीमती सबिता बानरा,** पिता/पति–**श्री श्याम सुंदर बोदरा,** जाति–**हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–**कुमारलोंग,** पो0–**केरा,** थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका **श्री सुनिया हेम्ब्रम,** पिता/पति–**स्व0 दादु हेम्ब्रम,** जाति–**हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–**बंगलाटांड़,** थाना–**चक्रधरपुर, वार्ड नं0–19,** जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**चक्रधरपुर,** जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति–**हो (अ०ज०जा०),** समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत रकवा–**2.85 ए0,** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता **श्री सुनिया हेम्ब्रम,** पिता/पति–**स्व0 दादु हेम्ब्रम,** जाति–**हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–**बंगलाटांड़,** थाना–**चक्रधरपुर, वार्ड नं0–19,**को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि **7,00,000/–(सात लाख)** रूपये में बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 16.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। 16.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	